तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चेतन राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 42/2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चेतन राठौड़ पुत्र मोहनलाल राठौड़, पता 5/5, राजीव गांधी कॉलानी, डी.पी. वाली गली, पाल लिंक रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.01.2020 में उसके द्वारा (1) मेरे द्वारा ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से दिनांक 22.11.2019 को अन्य पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र आवेदन की दिनांक 26.11.2019 व दिनांक 30.12.2019 को प्रिन्ट की गई लाईफ साईकिल की प्रति इस आवेदन पत्र सुंलभता के लिए संलग्न है जिसमें आप स्वयं रिमार्क्स के साथ की हुई छेड़छाड़ स्पष्ट रूप से देख सकते है, अतः मुझे सूचना उपलब्ध करवाया कि किस नियम के तहत व किस कारण से मेरे आवेदन की लाईफ साईकिल में लगे रिमार्कस के साथ छेड़छाड़ की गई, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	